न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 168/2014 एल.आर.एक्ट

रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानदास जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं0 15 सूरतगढ़।

अपीलान्ट

–बनाम–

1. श्रीमती सरोज रानी पुत्री स्व. श्री हरबंशलाल पत्नी श्री श्योरतन जाति अरोड़ा निवासी पुरानी खुंजा तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
2. श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्व. श्री कलवन्तराय जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं0 15 नया, मोदी कल्वा डीएवी स्कूल के सामने, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. कलवन्तराय पत्नी श्री राधाकिशन असीजा जाति अरोड़ा निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ ।
4. श्रीमती मंजू पुत्री स्व.कलवन्तराय पत्नी श्री जगदीश राय जाति अरोड़ा निवासी वार्डनं0 15 नया, मोदी कटला, डीएवी स्कूल के सामने सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. श्रीमती पिलू पुत्री स्व. कलवन्तराय पत्नी श्री रिछपाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 15 नया, मोदी कटला, डीएवी स्कूल के सामने सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
6. मिनी पुत्र स्व. श्री कलवन्तराय जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं015 नया, मोदी कटला, डीएवी स्कूल के सामने सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये कदरती वली माता कलावती देवी पत्नी श्री कलवन्तराय जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं015 नया, मोदी कटला, डीएवी स्कूल के सामने सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
7. भगवानदास पुत्र श्री नरसामल जाति खत्री निवासी सूरतगढ (फौत):

7/1. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व. श्री भगवानदास जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं015 सूरतगढ़ ।

7/2. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री स्व. श्री भगवानदास जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं015 सूरतगढ़ ।

7/3. पवन कुमार पुत्र स्व. भगवानदास जाति अरोड़ा 7/2. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री स्व. श्री भगवानदास जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं015 सूरतगढ़ ।

7/4. श्यामलाल पुत्र स्व. श्री भगवानदास जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं015 सूरतगढ़ ।

7/5. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानदास जाति अरोड़ा (खत्री) निवासी वार्ड नं.15 सूरतगढ ।

7/6. पूजा रानी पुत्री स्व. श्री भगवानदास धर्मपत्नी श्री सचिन कुमार डोडा पुत्र रविकरण डोडा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 22, नजदीक किरयाना भवन, हनुमानगढ टाउन तहसील जिला हनुमानगढ

8. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।
9. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ ।

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थितः श्रीहरीश मदान, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री सुभाष सहू राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित श्री राजेश लदरेचा अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 से 6

निर्णय

दिनांकः 14.11.18

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के निर्णय दिनांक 10.12.13 जिसके द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर कस्बा सूरतगढ का स्वीकृत विरास्तन इन्तकाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सं0 345 दिनांक 8.4.08 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ को रिमाण्ड किया गया, के विरुध्द इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत हुई है ।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा सूरतगढ के खसरा नं. 1.075 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि भगवानदास– हरबंशलाल– कलवन्तराय पि0 नरसामल कौम खत्री के नाम खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । हरबंशलाल व कलवन्तराय पि0 नरसामल का क्रमशः दिनांक 17.6.2000 व 3.2.2004 को देहान्त होने के पश्चात मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 भगवानदास के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त विरास्त इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 ता 6 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ में प्रथम अपील सं0 171/2013 प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 10.12.13 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलान्ट्स को सुनकर रिकॉर्ड का अध्ययन व परीक्षण कर पुनः विधि अनुरुप निर्णय पारित किया जावे । न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के उक्त निर्णय दिनांक 10.12.13 के विरुध्द भगवानदास (मृतक) के पुत्र रविन्द्रकुमार द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तथा रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी कर तलबी की गयी । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 के अभिभाषक अनुपस्थित रहने पर अभिभाषक अपीलान्ट एवम् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि कलावती देवी वर्ष 1975 में हरबंशलाल की पत्नी थी । जो बाद में तमाम हक व अधिकार छोडकर कलवन्तराय की पत्नी रही है तथा बाद में रेस्पोन्डेंट सं02 कलावती देवी पत्नी कलवन्तराय ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में तमाम हिस्सा की एवज में राशि प्राप्त कर अपने हक व अधिकार जरिये त्याग पत्र. दिनांक 18.7.97 द्वारा भगवानदास के पक्ष में छोड़ दिया था एवम् उसकी एवज में तमाम राशि प्राप्त कर ली थी तथा अपने तमाम हक व अधिकार छोड़कर अन्य के साथ घर बसा लिया । इन तथ्यों को अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उजागर किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेंट सं02 को कुलवन्तराय की पत्नी मानते हुए एवम् उनके बच्चों को कुलवन्त राय के बच्चे मानते हुए अपील स्वीकार की गयी है, जबकि हरबंशलाल के वारिस का कोई हक नहीं है तथा कुलवन्तराय की पत्नी ने तमाम अधिकार छोड़ दिया था । हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 एवं एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार एक विधवा जिसने पुनर्विवाह किया हो, अपने मृतक पति की सम्पत्ति में परिलाभ प्राप्त करने हेतु क्लेम नहीं कर सकती तथा मृतक पति की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं रखती है । अपीलान्ट ने अपने कथन के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे– 2000 पृष्ठ 77 से 98 अवलोकनीय बताया ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 के पश्चात बैयनामा का इन्तकाल सं0 481 दिनांक 30.5.12 और दर्ज हो गया है । इस तथ्य को रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष छुपाया गया है । यह कि विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा नं ही वर्तमान में कब्जा है । इस प्रकार रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 द्वारा नये इन्तकाल को छुपाते हुए पुराने इन्तकाल को चैलेंज किया गया है । यह कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 के द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 के विरुध्द अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 7.12.12 को मियाद बाहर पेश की गयी । उक्त अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना में अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी पटवारी हल्का से होना अवगत कराया है, जबकि पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र पस्तुत नहीं किया गया है । अभिभाषक अपीलान्ट ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.13 निरस्त कर विरास्तन इन्तकाल बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. अपील में विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि कस्बा सूरतगढ के खसरा नं0 344 की 1.075 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि भगवानदास– हरबंशलाल व कलवन्तराय पि0 नरसामल के नाम खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । हरबंशलाल व कलवन्तराय का क्रमशः दिनांक 17.6.2000 व 3.2.2004 को देहान्त होने के उपरान्त अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंट सं0 7/1 से 7/6 के स्व. पिता भगवानदास पुत्र नरसामल द्वारा तहसीलदार सूरतगढ से अपने नाम विरास्तन नामान्तरकरण सं0 345 दिनांक 8.4.08 स्वीकृत करवा लिया । तहसीलदार सूरतरगढ द्वारा भगवानदास के अन्य मृतक भ्राता हरबंशलाल व कलवन्तराय के वारिसान की कोई जांच नहीं की गयी एवं रेस्पो0 सं0 1 ता 6 को बिना सुने इकतरफा तौर पर विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 10.12.13 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ को अपीलान्ट्स की सुनवाई के पश्चात पुनः विधि अनुरुप निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उभय पक्ष की बहस अभिलेख अनुसार प्रकरण में निम्नप्रकार से स्थिति स्पष्ट होती है :–

I. प्रकरण अनुसार विवादित भूमि कस्बा सूरतगढ के खसरा नं. 344 में 1.075 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि भगवानदास– हरबंशलाल– कलवन्तराय पि0 नरसामल कौम खत्री के नाम खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । हरबंशलाल व कलवन्तराय पि0 नरसामल का क्रमशः दिनांक 17.6.2000 व 3.2.2004 को देहान्त होने के पश्चात मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 अपीलान्ट सं01 व रेस्पोन्डेंट सं0 7/1 से 7/6 के स्वर्गीय पिता भगवानदास के नाम स्वीकृत किया गया है ।

II. प्रकरण में विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 भगवानदास के नाम स्वीकृत होने के पश्चात उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 19.4.2012 द्वारा राजकुमार पुत्र दीवानचन्द एवं प्रवीणकुमार पुत्र जगदीशराय जाति अरोड़ा को बेचान की जा चुकी है, जिसका बैयनामा नामान्तरकरण सं0 481 दिनांक 30.5.12 स्वीकृत होने के पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 में क्रेतागण के नाम का इन्द्राज भी हो चुका है । परन्तु रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 द्वारा प्रथम अपील सं0 171/2013 में क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.13 में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

III. प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस के अनुसार रेस्पोन्डेंट सं02 कलावती देवी पत्नी कलवन्तराय की शादी हरबंशलाल से हुई थी तथा कलवन्तराय के साथ उसका अलगाव रहा तथा बाद में अपने तमाम हक व अधिकार छोड़कर किसी अन्य के साथ घर बसा लिया । इस सम्बन्ध में कलावती देवी पत्नी कलवन्तराय द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखे गये त्यागपत्र दिनांक 18.7.97 के अनुसार कलावतीदेवी द्वारा अपना हक व हिस्सा के रुप में 70,000/–रुपये प्राप्त किये जाकर अपना हक भगवानदास के पक्ष में त्याग कर दिया गया था । कलावती देवी ने उक्त त्याग पत्र में यह भी अंकन करवाया है कि वह अपने पति कलवन्तराय से 10 वर्ष से अलग रहती है ।

IV. इस न्यायालय में प्रस्तत की गयी अपील में प्रस्तुत दस्तावेज टीसी प्रमाण पत्र 1975–76 अनुसार रेस्पोन्डेंट सं01 सरोज रानी के पिता का नाम हरबंशलाल है तथा माता का नाम कलावती देवी है । इसके अलावा सूरतगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट 1975 भाग सं0 240 में क्रम सं0 519 पर कलावती पत्नी हरबंशलाल दर्शाया गया है तथा वर्ष 1988 की वोटरलिस्ट कलावती पत्नी कलवन्तराम दर्शाया गया है । इससे अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन को बल मिलता है कि कलावती देवी की वर्ष 1975 से पूर्व हरबंशलाल से शादी हुई थी तथा वर्ष 1988 में कलवन्तराय की पत्नी रही है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8- उपरोक्त तथ्यों के अनुसार न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विवादित भूमि कस्बा सूरतगढ के खसरा नं. 344 में 1.075 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि भगवानदास– हरबंशलाल– कलवन्तराय पि0 नरसामल कौम खत्री के नाम खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । हरबंशलाल व कलवन्तराय पि0 नरसामल का क्रमशः दिनांक 17.6.2000 व 3.2.2004 को देहान्त होने के पश्चात मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 अपीलान्ट सं01 व रेस्पोन्डेंट सं0 7/1 से 7/6 के स्वर्गीय पिता भगवानदास के नाम स्वीकृत किया गया है । तत्पश्चात भगवान दास द्वारा उक्त विवादित भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 19.4.2012 द्वारा राजकुमार पुत्र दीवानचन्द एवं प्रवीणकुमार पुत्र जगदीशराय जाति अरोड़ा को बेचान की जा चुकी है, जिसका बैयनामा नामान्तरकरण सं0 481 दिनांक 30.5.12 स्वीकृत होने के पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 में क्रेतागण के नाम का इन्द्राज भी हो चुका है। परन्तु इन्हें प्रथम अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया । कलावती देवी की वर्ष 1975 से पूर्व हरबंशलाल से शादी हुई थी तथा वर्ष 1988 में कलवन्तराय की पत्नी रही है । कलावती देवी पत्नी कलवन्तराय द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखे गये त्यागपत्र दिनांक 18.7.97 के अनुसार कलावतीदेवी द्वारा 70,000/–रुपये प्राप्त किये जाकर विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपना हक व हिस्सा भगवानदास के पक्ष में त्याग कर दिया गया था । कलावती देवी ने उक्त त्याग पत्र में यह भी अंकन करवाया है कि वह अपने पति कलवन्तराय से 10 वर्ष से अलग रहती है । उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का विनम्र मत है कि रेस्पोन्डेंट सं01 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में तथ्यों को छुपाया गया है तथा क्लीन हैंड से अपील नहीं की गयी । प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलान्ट सं01 व रेस्पोन्डेंट सं0 7/1 से 7/6 के स्वर्गीय पिता भगवानदास के नाम स्वीकृत किया गया है । इन्तकाल एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिससे किसी के अधिकार तय नहीं होते हैं । ऐसी स्थिति में न्यायालय अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा प्रथम अपील सं0 171/2013 में पारित किया गया रिमाण्ड आदेश दिनांक 10.12.2013 उचित प्रतीत नहीं होता है ।

9- अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–12–2013 निरस्त किया जाता है तथा विरास्तन इन्तकाल सं0 345 दिनांक 8.4.08 बहाल किया जाता है। रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 यदि अपना हक रखते हैं तो राजस्व वाद प्रस्तुत कर अपना हक तय करवा सकते हैं ।

10- तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 14.11.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालाय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर